

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-निसं / निदेशक(जन0स्वा0) / 2010 / ३५३.

दिनांक:- १९.११.१०.

-:आदेश:-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शहरी क्षेत्र के जिला अस्पताल, सैटेलाईट अस्पताल एवं समस्त मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी एडपोस्ट एवं राज्य के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित योजना, समीक्षा, मोनिटरिंग एवं नियंत्रण आदि का कार्य चिकित्सा प्रशासक (Health Administrator) द्वारा किया जावेगा। इनका नाम, मुख्यालय व क्षेत्र निम्नानुसार होगा:-

क्र० सं०	वर्तमान स्वीकृत पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत पद संभागं/जिले का नाम	जिला स्तर पर प्रस्तावित पद नाम	प्रस्तावित कार्यक्षेत्र/ जिला
1	सयुंक्त निदेशक, सम्भाग	7	जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा भरतपुर	सयुंक्त निदेशक	जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर उदयपुर कोटा भरतपुर (सम्भाग स्तरीय जिले )
2	उप निदेशक, सम्भाग	6	जयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर उदयपुर कोटा	उप निदेशक	दौसा, जैसलमेर झूँझूनू सिरोही, प्रतापगढ झालावाड,
3	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) उप निदेशक स्तर	20	अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा बूंदी, चित्तौडगढ, चूरू, धौलपुर,	उप निदेशक	अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, करौली, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ, चूरू, धौलपुर,

		झूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई—माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, टौक उदयपुर		झूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, बांरा, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, टौक राजसमंद
--	--	---	--	---

उपरोक्त अधिकारी अपने अधीनस्थ जिले के उपरोक्त समस्त चिकित्सा संस्थानों के नियंत्रक अधिकारी होंगे।

१८

(बी०एन० शमी) १८. ११. १०

प्रमुख शासन सचिव,  
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकिता को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज० जयपुर।
- 2.निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री राज० जयपुर।
- 3.निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य राज्य मंत्री राज०जयपुर।
- 4.समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 5.समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 6..समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी—राजस्थान।
- 7.समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी—राजस्थान।
- 8.आदेश पत्रावली।

१८

(बी०एन० शमी)

प्रमुख शासन सचिव,  
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

१९. ११. १०